भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3450
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता

3450. श्री राजेश रंजन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किसी नीति या पहल का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार राज्यों, उच्च न्यायालयों और अन्य हितधारकों के परामर्श से न्यायिक सुधारों के लिए एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं।

नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश

में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। तथापि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर समुचित विचार किया जाए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केवल उन्हीं व्यक्तियों की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाती है, जिनकी संस्तुति उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम द्वारा की जाती है।
